संख्या-15/2017/111 ई-2/तेरह-2017-21/2010

प्रेषक,

विनोद कुमार तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 04 मई,2017

विषय:-अल्कोहल वर्ष 2016-17 में अल्कोहल का देश के बाहर निर्यात करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-32/नौ-2013-14/अ0नि0/709/देश के बाहर, दिनांक 09 जनवरी,2017 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 09 जनवरी,2017 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त मे0 डी0सी0एम0 श्रीराम इण्डस्ट्रीज लि0, यूनिट दौराला शुगर वर्क्स डिस्टीलरी, दौराला, जनपद मेरठ को उनकी अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत अल्कोहल वर्ष 2016-17 में 12,00,000(बारह लाख) बल्क लीटर ई0एन0ए0/अब्सोल्यूट अल्कोहल देश के बाहर निर्यात करने की अनुमति एतद्द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रदेश में शीरा/अल्कोहल की कमी होने पर देश के बाहर ई0एन0ए0/अब्सोल्यूट अल्कोहल के निर्यात पर रोक लगाये जाने पर आसवक को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कृपया तद्नुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(विनोद कुमार तिवारी)
अनु सचिव।